**झारखण्ड सरकार**
***जल संसाधन विभाग***

पत्रांक :– 03 / विविध–07–190 / 2014..... / रॉची, दिनांक : ..... /

## *आदेश*

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या–6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ–02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ–04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान् 15600–39100, (पी०बी०–III) ग्रेड पे रू० 7600 / – को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम / आई०डी० कोड / जन्म तिथि / कार्यालय का नाम | प्रथम योगदान की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी०बी०–III) एवं वेतनमान् 15600–39100, ग्रेड पे रू० 7600 / – देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | श्री जग विष्णु सिंह जे 5089 / 01.10.53 / सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह | 07.02.79 | 07.02.09 | |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकुल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह को श्री जग विष्णु सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त (जिल्द में) (मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :– 5211 रॉची, दिनांक :– 28-4-14
प्रतिलिपिः–बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
**अनु०–यथोक्त।**

28.4.14
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

**झारखण्ड सरकार**
***जल संसाधन विभाग***

पत्रांक :– 03 / विविध–7–193 / 14..... / राँची, दिनांक : ..... /

## *आदेश*

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या–2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ–02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ–04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान् 15600–39100, (पी०बी०–III) ग्रेड पे रू०–7600 / – को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम / / आई०डी० कोड / जन्म तिथि / कार्यालय का नाम | प्रथम योगदान की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी०बी०–III) एवं वेतनमान् 15600–39100, ग्रेड पे रू० 7600 / – देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | प्रियव्रत नारायण सिंह / जे०–6346 / 02.02.56 / सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला | 07.02.79 | 07.02.09 | |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकुल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– राँची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– राँची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहु० परि० चांडिल काम्पलेक्स / कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला को श्री प्रियव्रत नारायण सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त जिल्द में (मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
**अनु०:–यथोक्त।**

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :– 5213 राँची, दिनांक :– 28-4-14
प्रतिलिपिः–बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.4.14
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

**झारखण्ड सरकार**
***जल संसाधन विभाग***

पत्रांक :– 03 / विविध–7–~~17~~ 187 / 14..... / रॉची, दिनांक : ..... /

## *आदेश*

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या–2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ–02 में अंकित सहायक अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ–04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान् 15600–39100, (पी०बी०–III) ग्रेड पे रू०–7600 / – को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम / पदनाम / आई०डी० कोड / जन्म तिथि / कार्यालय का नाम | प्रथम योगदान की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी०बी०–III) एवं वेतनमान् 15600–39100, ग्रेड पे रू० 7600 / – देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | चन्द्रशेखर सिंह / सहायक अभियंता / जे०–4356 / 10.02.50 / खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा | 12.02.77 | 01.09.08 | |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकुल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० योजना के तहत् स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांकः– रॉची, दिनांक :–
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहु० परि० ईचा गालूडीह / कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा को चन्द्रशेखर सिंह, सहायक अभियंता का सेवापुस्त 3 भाग (मूल) के साथ / संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
**अनु०:–यथोक्त।**

ह० / –
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :– 5214 रॉची, दिनांक :– 28-4-14
प्रतिलिपिः–बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/14
( **मनोज कुमार** )
अवर सचिव (प्र०)